Assistance to Indian Exporters Facing Anti-Dumping Duties Abroad

853. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to give due consideration to any scheme formulated by the Chambers of Commerce and Industry and professional Institutions to provide assistance to Indian exporters facing anti-dumping duty abroad;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the proposed steps would help to boost Indian trade; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) The Government have not received any scheme formulated by the Chambers of Commerce and Industry and professional Institutions to provide assistance to Indian exporters facing anti-dumping duty abroad. The other parts of the question does not arise. If any scheme is received, Government will consider the same on merits.

Child and Bonded Labourers

854. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what is number of factories and other establishements employing child and bonded labourers inspected prosecuted and convicted respectively in the years 1993 and 1994 under the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and the Factories Act, 1948;

(b) the number of child and bonded labourers detected during the said two years and the number out of them rehabilitted so far; and

(c) by when the remaining child and bonded labourers would be rehabilitated?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRIJ P.A. SANGMA): (a) A statement showing the enforcement figures on child Labour for 1992-93 and 1993-94 is at Annexure-[See Appendix 174 Annexure No. 26].

Bonded labour system stands abolished under the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 in every sector. The details of establishements/factories are not maintained where persons might have been in bondage.

(b) As a part of the National Child Labour Policy, 1987, 12 National Child Labour Projects (NCLP) are at present under implementation in 8 States covering about 16,000 children.

A major activity under the NCLP is the establishment of special schools to provide basic needs like non-formal education, Vocational training, supplementary nutrition etc. to childr n withdrawn from employment.

According to National Commission on Rural Labour, about 80's of the bonded labour are engaged in agriculture and allied activities.

(c) Following up on a call given by the Prime Minister in his Independence Day speech on the 15th of August, 1994, a massive programme has been launched to eliminate 20 lakh child labour by the year 2000 A.D.

There are about 6,000 bonded labourers awaiting rehabilitation as on 31.3.95.

कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम दैनिक मजदूरी

855. **श्री राम जेठमालानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में मौजूद लगभग 315 मिलियन श्रमिक-शक्ति में से 110 मिलियन मजदूर कृषि-मजदूर हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या अनुमान है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इन मजदूरों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में मजदूरी की दर में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 286 मिलियन कामकाजी जनसंख्या में से 75 मिलियन लोग खेतिहर मजदूर हैं।

(ग) से (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण करने/संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने जुलाई, 1991 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि खेतिहर कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी की दर 1990 के दौरान विद्यमान मूल्य के आधार पर 20/- रु० प्रति दिन से कम निर्धारित नहीं की जानी चाहिये। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रत्येक दो वर्षों के अंतराल में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया जाना चाहिये और न्यूनतम मजदूरी के भाग के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्धित परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के घटक की व्यवस्था की जानी चाहिये। इन सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को उनके विचार एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है।

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में खेतिहर मजदूरों की अकुशल श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि कर्मकारों के लिए तय की गई न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अकुशल कृषि कर्मकारों हेतु न्यूनतम मजदूरी
1.	आन्ध्र प्रदेश	रु० 16.80 से रू० 23.40 प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (8.4.91)
2.	अरूणाचल प्रदेश	रु० 18.00 से 21.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1.11.90)
3.	असम	रु० 1134.00 प्रतिमाह अथवा रु० 984.00 प्र० माह जमा भोजन, आवास और कपड़े (1.2.92)
4.	बिहार	रु० 21.00 प्रतिदिन (19.7.93)
5.	गोवा	रु० 27.50 प्रतिदिन (5.2.92)
6.	गुजरात	रु० 15.00 प्रतिदिन (1.8.90)
7.	हरियाणा	रु० 42.60 प्रतिदिन भोजन सहित या रु० 46.00 प्रतिदिन बिना भोजन के (1.1.95)
8.	हिमाचल प्रदेश	रु० 24.00 प्रतिदिन से रु० 26.00 प्रतिदिन (1.10.94)
9.	जम्मू व कश्मीर	रु० 15.00 प्रतिदिन (24.3.89)
10.	कर्नाटक	रु० 12.00 से रु० 17.65 प्रतिदिन (12.7.88)
11.	केरल	रु० 30.00 प्रतिदिन महिलाओं हेतु रु० 40.20 प्रतिदिन पुरूषों हेतु (31.3.92)
12.	मध्य प्रदेश	रु० 30.76 प्रतिदिन (29.1.94)
13.	महाराष्ट्र	20.00 रु० से 29.00 रु० प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (26.6.91)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अकुशल कृषि कर्मकारों हेतु न्यूनतम मजदूरी
14.	मणिपुर	40.90 रू० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 37.90 रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के लिए (23.12.88)
15.	मेघालय	35.00 रु० प्रतिदिन (16.3.94)
16.	मिजोरम	28.00 रु० प्रतिदिन (1.11.87)
17.	नागालैंड	25.00 रु० प्रतिदिन (6.7.92)
18.	उड़ीसा	25.00 रु० प्रतिदिन (1.7.90)
19.	पंजाब	46.17 रु० प्रतिदिन बिना भोजन या 42.17 रु० प्रतिदिन भोजन सहित (1.9.94)
20.	राजस्थान	32.00 रु० 34.00 रु० प्रतिदिन (1.1.95)
21.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	20.00 रु० प्रतिदिन (6.4.93)
23.	त्रिपुरा	23.65 रु० प्रतिदिन (20.12.93)
24.	उत्तर प्रदेश	33.00 रु० प्रतिदिन से 35.00 रु० प्रतिदिन (7.1.92)
25.	पश्चिम बंगाल	32.72 रु० प्रतिदिन 29.52 रु० प्रतिदिन जमा दो मुख्य भोजन (1.7.92)
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	27.00 रु० प्रतिदिन और 28.00 रु० प्रतिदिन (अंडमान और निकोवार) (13.8.92)
27.	चंडीगढ़	39.42 रु० प्रतिदिन भोजन सहित या 43.25 रु० प्रतिदिन बिना भोजन (1.3.92)
28.	दादर नगर हवेली	23.00 रु० प्रतिदिन (15.12.92)
29.	दिल्ली	54.60 रु० प्रतिदिन (1.8.94)
30.	दमण एवं दीव	22.00 रु० प्रतिदिन (19.3.95)
31.	लक्षद्वीप	30.00 रु० प्रतिदिन (1.1.93)
32.	पांडिचेरी	14.00 रु० प्रतिदिन (15.12.89)
	(i)पांडिचेरी क्षेत्र	12.00 रु० प्रतिदिन हल्के कार्य हेतु
	(ii)माहे क्षेत्र	15.00 रु० प्रतिदिन भारी कार्य हेतु (19.2.87)
	(iii)यनम क्षेत्र	11.00 रु० प्रतिदिन (15.3.88)
	(iv)कैरकैल क्षेत्र	14.00 रु० प्रतिदिन या 7 लीटर धान+4.90 रु० प्रतिदिन (31.1.90)
33.	केन्द्रीय क्षेत्र	46.62 रु० प्रतिदिन (1.4.95)

Extra imports under Duty Exemption Scheme

856. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) wehther it is a fact that due to quality differences between imported and domestic raw materials and other inputs, there have been extra imports of materials under advance licences under the Duty Exemption Scheme of Export-Import Policy;

(b) if so, in what manner such extra imports are sought to be prevented; and

(c) if not, in what manner the quality differences between imported and domes-